झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान– सभा

त्रयोदश– सत्र

वर्ग– 01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 12 फाल्गुन, 1935 [श0] / 03 मार्च, 2014 [ई0] को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सं0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
143–	अ0सू0– 37	श्री ढुलू महतो	मुआवजा नियोजन एवं पुनर्वास कराना।	कार्मिक	24.02.2014
144–	अ0सू0– 25	श्री समरेश सिंह	एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर पर 0% वैट करना।	वित्त	23.02.2014
145–	अ0सू0– 21	श्री रघुवर दास	मैथली भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देना।	कार्मिक	20.02.2014
146–	अ0सू0– 28	श्री चन्द्रेश्वर प्र0 सिंह	राँची को अपराध मुंक्त करना।	गृह	23.02.2014
147–	अ0सू0– 17	श्री विनोद कु0 सिंह	आश्रितों को नौकरी देना।	गृह	19.02.2014
148–	अ0सू0– 30	श्री अमित कु0 यादव	सुविधा बहाल करना	मंत्री मंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	23.02.2014

(कृ0पृ0उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
149—	अ0सू0— 22	श्री कमल किशोर भगत	कोटा निर्धारण करना।	कार्मिक	22.02.2014
150—	अ0सू0— 26	श्री अरूण मंडल	प्रमंडल और जिला बनाना।	कार्मिक	23.02.2014
151—	अ0सू0— 24	श्री बन्धु तिर्की	गिरफ्तार कर न्यायिक कार्रवाई करना।	गृह	23.02.2014
152—	अ0सू0— 27	श्री जय प्रकाश सिंह भोगता	हत्यारों को गिरफ्तार करना।	गृह	23.02.2014
153—	अ0सू0— 35	श्री मथुरा प्र0 महतो	आयुसीमा बढ़ाना।	कार्मिक	24.02.2014
154—	अ0सू0—36	श्री मथुरा प्र0 महतो	अनुदान एवं सरकारी नौकरी देना।	गृह	24.02.2014
155—	अ0सू0— 29	श्री बिदेश सिंह	पर्यटक स्थल विकसीत करना।	पर्यटन	23.02.2014
156—	अ0सू0— 33	श्री बन्धु तिर्की	गिरफ्तारी तथा पीड़िता को नौकरी एवं मुआवजा।	गृह	23.02.2014
157—	अ0सू0— 31	श्री नवीन जायसवाल	उम्र सीमा में छूट देना।	कार्मिक	23.02.2014
158—	अ0सू0— 34	श्री सत्येंनद्र नाथ तिवारी	ग्रेड—पे का निर्धारण	कार्मिक	24.02.2014
159—	अ0सू0— 32	श्री प्रदीप यादव	निगरानी को स्वतंत्र करना।	गृह	23.02.2014
160—	अ0सू0— 23	श्री दीपक बिरूवा	परीक्षाफल का संशोधन करना।	कार्मिक	23.02.2014

राँची,
दिनांक— 03 मार्च, 2014 (ई0)।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।
(कृ0पृ0उ0)

ज्ञापांक– झा0वि0स0(प्रश्न)–03/07..........778........../वि0स0, रांची, दिनांक–01-03-14

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के मा0 सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 नेता प्रतिपक्ष/अन्य मा0 मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

01/3/14

(छोटे लाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञापांक– झा0वि0स0(प्रश्न)–03/07..........998........../वि0स0, रांची, दिनांक– 01-03-14

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं संयुक्त सचिव (प्रश्न) के उप सचिव, को सूचनार्थ प्रेषित।

01/3/14

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

सुभाष

28.02.14

(144)

श्री समरेश सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.03.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– 25 का उत्तर

प्रश्न श्री समरेश सिंह माननीय स0वि0स0	उत्तर श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय मंत्री (वाणिज्य–कर विभाग)
1. क्या यह बात सही है कि एल0पी0जी0 गैस आधार लिंक वाले लाखों उपभोक्ताओं के 1239 रूपयें प्रति सिलिण्डर और बिना आधार लिंक वाले उपभोक्ताओं को 430 रूपये प्रति सिलिण्ड का भुगतान करना पड़ रहा है।	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्रांक 688 दिनांक 28.02.2014 द्वारा निर्गत उत्तर संलग्न है।
2. क्या यह बात सही है कि आधार लिंक उपभोक्ताओं को केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान की राशि उपभोक्ता के बैंक खाता में वापस दिए जाने के वाबजूद भी 44 रूपये प्रति सिलिण्डर राज्य सरकार द्वारा लागू वैट की वजह से अधिक राशि देय हो रहा है।	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्रांक 688 दिनांक 28.02.2014 द्वारा निर्गत उत्तर संलग्न है।
3. क्या यह बात सही है कि भारत सरकार ने झारखण्ड सरकार को एल0पी0जी0 गैस में वैट को छूट हेतु पत्र भेजा है।	उक्त पत्र द्वारा राज्य में घरेलू उपयोग हेतु प्रयुक्त एल0पी0जी0 पर वर्त्तमान कर दर 5 प्रतिशत को specific बनाने का अनुरोध किया गया है।
4. यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अविलम्ब एल0पी0जी0 गैस सिलिण्डर पर 0 प्रतिशत वैट लगाकर लाखो उपभोक्ताओं को राहत देने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नही तो क्यों ?	सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु प्रयुक्त एल0पी0जी0 को कर मुक्त करने का कोइ प्रस्ताव विचाराधीन नही है क्योंकि वैट विमुक्ति से राजस्व की क्षति होगी।

झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

ज्ञापांक– 689 दिनांक– 28/2/14

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या 824 दिनांक 23.02.2014 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/14

(युगल किशोर)
वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,

6

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

पत्रांक – खा०प्र० 5–10(विधान सभा)–30 / 2014 – 688

प्रेषक,

नरेश प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सचिव,
वित्त वाणिज्य–कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।

/राँची, दिनांक – 28.02.14

विषय :– श्री समरेश सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा, झारखण्ड द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–25, दिनांक 03.03.2014 के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक श्री समरेश सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा, झारखण्ड द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–25, दिनांक 03.03.2014 की खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित कंडिकाओं का उत्तर प्रतिवेदन संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

1035
28/2/14

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन,

2.3.14

अनुलग्नक :– 1 पृष्ठ।

(नरेश प्रसाद सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलें विभाग

दिनांक 03.03.2014 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–25 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता का नाम
श्री समरेश सिंह,
स०वि०स०

उत्तरदाता का नाम
श्री साईमन मराण्डी,
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि एल0पी0जी0 गैस आधार लिंक वाले लाखों उपभोक्ताओं के 1239 रू0 प्रति सिलिंडर और बिना आधार लिंक वाले उपभोक्ताओं को 430 (चार सौ तीस) रू0 प्रति सिलिंडर का भूगतान करना पड़ रहा है;	एल0पी0जी0 आधार लिंक वाले लाखों उपभोक्ताओं को 1235/1239 रू0 फरवरी माह में अलग–अलग बाजार मूल्य प्रति सिलिंडर और बिना आधार लिंक वाले उपभोक्ताओं को 437/441.50 रू0 जो कि वर्तमान सब्सिडी सिलिंडर का मूल्य है भुगतान करना पड़ रहा है। विदित है कि सिलिंडर का मूल्य प्रतिमाह बदलता है।
2	क्या यह बात सही है की आधार लिंक उपभोक्ताओं को केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान की राशि उपभोक्ता के बैंक खाता में वापस दियेजाने के वावजूद भी 44/–रू0 प्रति सिलिंडर राज्य सरकार द्वारा लागू VAT की वजह से अधिक राशि देय हो रही है;	आधार लिंक उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा अनुदान की राशि उपभोक्ता के बैंक खाता में वापस दिए जाने के बावजूद भी फरवरी माह में 38.50 रू0 प्रति सिलिंडर राज्य सरकार द्वारा लागू वैट की वजह से अधिक राशि देय हो रहा है।
3	क्या यह बात सही है की भारत सरकार ने झारखण्ड सरकार को एल0पी0जी0 गैस में VAT को छूट देने हेतु पत्र भेजा है;	वाणिज्य कर विभाग से संबंधित है।
4	यदि उक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब एल0पी0जी0 गैस सिलिंडर पर 0% वैट लगाकर लाखों उपभोक्ताओं को राहत देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वाणिज्य कर विभाग से संबंधित है।

28/2/2014

सरकार के सचिव।

145

माननीय स.वि.स. श्री रघुवर दास द्वारा दि. 03.03.2014 को पूछा जानेवाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या–21 का उत्तर

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के देवघर, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ आदि जिलों में मैथिली भाषाभाषी नागरिकों की संख्या 30% से अधिक है।	अस्वीकारात्मक। जनगणना निदेशालय, भारत सरकार से प्राप्त 2001 के आँकड़ों के अनुसार मैथिली भाषियों की संख्या देवघर में 0.57%, दुमका में 0.23%, साहेबगंज में 0.12%, गोड्डा में 0.06%, पाकुड़ में 0.11% है, जो संबद्ध जिलों के भाषा–भाषियों की कुल संख्या का 1% से भी कम है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों राँची, हजारीबाग, कोडरमा एवं अन्य जिलों में भी मैथिली भाषा–भाषी नागरिकों की संख्या काफी है।	अस्वीकारात्मक। जनगणना निदेशालय, भारत सरकार से प्राप्त 2001 के आँकड़ों के अनुसार मैथिली भाषियों की संख्या राँची में 0.85%, हजारीबाग में 0.91%, कोडरमा में 0.18% है, जो संबद्ध जिलों के भाषा–भाषियों की कुल संख्या का 1% से भी कम है।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य में अन्य द्वितीय राजभाषा की मान्यताप्राप्त भाषा–भाषी की संख्या से अधिक प्रतिशत संख्या मैथिली भाषा–भाषी नागरिकों की है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। राज्य की प्रमुख जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को अन्य द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार मैथिली भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देना चाहती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों।	राज्य सरकार मैथिली भाषा को समीक्षोपरांत द्वितीय राजभाषा अन्य द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने पर विचार करेगी।

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

ज्ञापांक. राज०/संसदीय–03/2014 रा० ...76 (रा)... राँची, दिनांक 26 फरवरी, 2014

प्रति, अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं. प्र० 640 वि.स., दिनांक–20.02.2014 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/2/14

(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उपसचिव

146

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–03.03.2014 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–28 का प्रश्नोत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राजधानी राँची में नवम्बर, 2013 से फरवरी 2014 के बीच लूट, हत्या, चोरी जैसी आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि राजधानी राँची के कोकर, रातु रोड, पिस्का मोड़ बरियातु और लोअर बाजार क्षेत्र में दर्जनों दुकानों में चोरी की घटनाएं घटित हुई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। राँची के पिस्का मोड़ एवं रातु रोड में चोरी की घटना में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि कोकर क्षेत्र, बरियातु एवं लोअर बाजार क्षेत्र में चोरी की घटना में मामूली वृद्धि हुई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजधानी राँची को अपराध मुक्त बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	राँची शहरी क्षेत्र के अंतर्गत दिवा एवं रात्रि गस्ती हेतु टाईगर मोबाइल का गठन किया गया है। उसे कारगर रूप से कार्य करने हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। गुप्त सूचनाओं के आधार पर भी अपराधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–08 / वि०स० (04)–17 / 2014 1237 / राँची, दिनांक–02/03/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.3.14
सरकार के उप सचिव।

श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–03.03.2014 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि 7 जुलाई 1998 को बगोदर प्रखण्ड के अटका में उग्रवादियों द्वारा 8 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि घटनास्थल पर 8 जुलाई 1998 तत्कालीन मुख्यमंत्री ने आश्रितों को नौकरी व मुआवजा की घोषणा की थी लेकिन अब तक नौकरी नही मिली है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आश्रितों को नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	प्रासंगिक घटना झारखण्ड राज्य के गठन से पूर्व की है। बिहार सरकार द्वारा संबंधित आश्रितों को सरकारी नौकरी दिये जाने हेतु आदेश निर्गत नही किये जाने के कारण नौकरी नही दी जा सकी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–18/वि०स० (02)–05/2014 2011 / राँची, दिनांक–02/03/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2-3-14
सरकार के उप सचिव।

149

श्री कमल किशोर भगत, माननीय स0वि0स0 द्वारा चलते विधानसभा सत्र में दिनांक– 03.03.2014 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–22 का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री कमल किशोर भगत, माननीय स0वि0स0 द्वारा चलते विधानसभा सत्र में दिनांक– 03.03.2014 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–22 का उत्तर निम्नवत अंकित है:–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या बात यह सही है कि संयुक्त बिहार में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को उप जातियाँ जैसे अन्सारी, दफ्ाली, नाय धोबी, पंवरिया, इराकी, चीक–बड़ाईक, बन्दर, खेलवा, कुरैशी कलाल आदि को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में अलग से कोटा निर्धारित था, जिसे झारखण्ड राज्य में जुलाई 2000 में समाप्त कर दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। मुसलिम अल्पसंख्यकों की प्रश्नांकित जातियों की स्थिति निम्न प्रकार है– 1. अंसारी– अ0पि0 वर्ग (अनुसूची–1) क्रमांक–94 2. दफ्ाली (डफाली–मुस्लिम) अ0पि0 वर्ग (अनुसूची–1) क्रमांक–82 3. नाय (नाई–हजाम– हिन्दु मुस्लिम दोनों के लिए) अ0पि0 वर्ग (अनुसूची–1) क्रमांक–44 4. धोबी (हिन्दु मुस्लिम दोनों के लिए) – अ0पि0 वर्ग (अनुसूची–1) क्रमांक–84 5. पंवरिया (पमरिया– मुस्लिम) अ0पि0 वर्ग (अनुसूची–1) क्रमांक–86 6. इराकी – इस नाम से कोई जाति सूचीबद्ध नहीं है। किन्तु पिछड़े वर्गो की सूची अनुसूची–2 के क्रमांक–20 पर 'एराकी' जाति दर्ज है जो हिन्दु मुस्लिम दोनों के लिए हैं। 7. चीक–बड़ाईक– यह जाति अनुसूचित जनजाति के क्रमांक–10 पर सूचीबद्ध है। 8. 'बन्दर', 'खेलवा' और 'कुरैशी'– इन नामों की जातियाँ सूचीबद्ध नहीं है। 9. कलाल– पिछड़े वर्गो की सूची अनुसूची–2 के क्रमांक–20 पर यह जाति दर्ज है जो हिन्दु मुस्लिम दोनों के लिए हैं।
2	क्या यह बात सही है कि (i) में वर्णित अल्पसंख्यक उप जातियों को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण नहीं मिलने से इनका विकास प्रभावित हो रहा है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (i) में वर्णित उप जातियों के लिय अलग से अत्यन्त पिछड़ा वर्ग में कोटा निर्धारित करने का विचा रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका– 1 एवं 2 के आलोक में प्रश्न की कंडिका–3 का उत्तर अपेक्षित नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–12 / 2014 का0–2045 / रांची, दिनांक 26 फरवरी,2014

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–737 वि0स0 दिनांक–22.02.2014 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.02.14

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

(150)

माननीय स0वि0स0 श्री अरूण मण्डल द्वारा दिनांक 03.03.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–26 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका प्रमण्डल मुख्यालय से साहेबगंज जिला मुख्यालय की दूरी 175 कि0मी0 है, जिससे आमजनों को जिला मुख्यालय से प्रमण्डलीय मुख्यालय आवागमन में अत्यधिक व्यय के साथ–साथ काफी कठिनाईयाँ होती है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला मुख्यालय से प्रखण्ड उधवा एवं बरहरवा क्षेत्र की दूरी 80 कि0मी0 है, जिससे जिला मुख्यालय आवागमन में सही साधन नहीं मिल पाने के कारण अत्यधिक व्यय एवं काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	साहेबगंज जिला मुख्यालय से क्रमशः प्रखण्ड उधवा एवं बरहरवा की दूरी अनुमानतः 47 एवं 60 कि0मी0 है।
3	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रत्येक वर्ष बाढ़ के प्रकोप से गुजरती है, जिससे दियारा क्षेत्र के लाखों मतदाता कार्य हेतु जिला एवं प्रमण्डलीय मुख्यालय पहुँचने में यातायात साधन व्यवस्था नहीं रहने के कारण अत्यधिक बोझ उठाना पड़ता है;	स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक है, तो क्या सरकार साहेबगंज को प्रमण्डल और राजमहल को जिला बनाने की स्वीकृति देने का विचार रखता है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है:– (क) साहेबगंज को प्रमण्डल बनाने के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) राजमहल को जिला बनाने के सम्बन्ध में उपायुक्त, साहेबगंज से आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के माध्यम से प्रतिवेदन की मांग की गई है। इस संबंध में संबंधित जिले के आयुक्त/उपायुक्त से वांछित सूचना/प्रतिवेदन यथा भौगोलिक आधार, स्थिति, क्षेत्रफल, जनसंख्या प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रशासनिक इकाईयों के सृजन हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा इस मामले पर प्रशासनिक व्यवहारिकता एवं अन्य वैधानिक बिन्दुओं का परीक्षण हो जाने के उपरान्त राज्य सरकार इस पर निर्णय लेती है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा0वि0स0–15–19/2014 का०– 2080/रांची, दिनांक 26/2/14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–858, दिनांक 23.02.2014 के आलोक में 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/14.

(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

letter-7a

157

श्री बन्धु तिर्की, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–03.03.2014 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–24 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि इसराईल कुजूर, ग्राम–हेसलाबेड़ा, थाना अनगड़ा के साथ गौतम धारा और हापातबेड़ा, सिल्ली के बीच रेलवे फाटक के किनारे जयपाल सिंह, ग्राम–लोवापीड़ी, थाना–सिल्ली एवं अन्य साथियों द्वारा दिनांक–31.01.2014 को मारपीट एवं भद्दी गालियाँ देने के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति थाना सदर, राँची में दिनांक–04.02.2014 प्राथमिकी संख्या–04/14 दर्ज है ;	अनुसूचित जाति/जनजाति थाना कांड संख्या–04/14, दिनांक 04.02.2014, धारा–341/323/504/506 भा०द०वि० एवं 3 (i)(x) एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट, 1989 के वादी ईसरायल कुजूर, पे० दिलवर कुजूर, सा०–हेसलाबेड़ा, टोला–बरलेंगा, पो०–मेढ़ा, थाना–अनगड़ा, जिला–राँची द्वारा प्राथमिकी अभियुक्त – (क) जयपाल सिंह, पे० श्री वृकोदर महतो, सा०–लोवापीड़ी, थाना–सिल्ली, जिला–राँची, (ख) सुदेश कुमार महतो, माननीय विधायक, सिल्ली विधान सभा, पे० श्री श्याम सुन्दर महतो, सा०–लगाम, थाना–सिल्ली, जिला–राँची एवं अन्य 3–4 व्यक्ति के विरूद्ध जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज करने के आरोप में कांड प्रतिवेदित कराया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि जयपाल सिंह एवं अन्य साथियों पर भा०द०वि० की धाराएँ 341/323/504/506 एवं अन्य अधिनियम एवं धाराएँ 3 (i)(x)SC/ST(P.A.) ACT, 1989 लगायी गयी है, परन्तु अब तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नही की गयी है ;	कांड फरवरी माह में प्रतिवेदित हुआ है जो अनुसंधानान्तर्गत है। अभियुक्तों के अभियुक्तिकरण के बिन्दु पर अनुसंधानोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राथमिकी संख्या–SC/ST-04/14 के तहत जयपाल सिंह सहित अन्य सभी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कर न्यायिक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	कांड अनुसंधानोपरांत ही अभियुक्तों के अभियुक्तिकरण के बिन्दु पर निर्णय लिया जाना श्रेयस्कर होगा।

झारखण्ड सरकार
गृह विभाग

ज्ञापांक–11/वि०स०–07/2014-2019/ राँची, दिनांक–02/03/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक–834, दिनांक–23.02.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.3.14
सरकार के उप सचिव।

श्री जय प्रकाश सिंह भोक्ता, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–03.03.2014 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–27 का प्रश्नोत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत पिपरवार में शिवदयाल साहू जो एक मेडिकल दवा दुकान चलाते थे ;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि इनकी हत्या दो वर्ष पहले अपराधियों द्वारा कर दी गई है ;	स्वीकारात्मक है। इनकी हत्या दिनांक–24.05.2010 को अपराधियों द्वारा की गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि पुलिस द्वारा अभी तक हत्यारो को गिरफ्तार नही की गई है ;	यह काण्ड प्राथमिकी अभियुक्त–1. मेनका दत्ता, मुख्य प्रबंधक सी०सी०एल० पिपरवार क्षेत्र, 2. प्रेम सागर मुण्डा, 3. बबलू मुण्डा दोनों पे०–प्रयाग मुण्डा, सा०–बेलारी, 4. जानकी महतो, सा०–बेलारी, सभी थाना–पिपरवार, जिला–चतरा एवं टी०पी०सी० उग्रवादी संगठन एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज किया गया। अनुसंधान के क्रम में प्राथमिकी अभियुक्त–1. प्रेम सागर मुण्डा, 2. बबलू मुण्डा दोनो पे०–प्रयाग मुण्डा, सा०–बेलारी, 3. जानकी महतो, सा०–बेलारी, सभी थाना–पिपरवार, जिला–चतरा, तथा टी०पी०सी० के 1. महेश महतो, पे०–सुखलाल महतो, सा०–रायबस्ती, थाना–खलारी, जिला–राँची, 2. कालेश्वर महतो, उर्फ मास्टर, पे०–स्व० जेठू महतो, सा० सारले, थाना–बुढ़मू, जिला–राँची, 3. इन्द्रेश मद्रासी, पे०–मनोहर मद्रासी, सा०–रायबस्ती, थाना–खलारी, जिला–राँची, 4. इरफान उर्फ तुफान जी, पे०–सहादत अंसारी, सा०–मुरमा, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार के विरूद्ध सत्य पाया गया तथा प्राथमिकी अभियुक्त–1. मेनका दत्ता, मुख्य महाप्रबंधक, सी०सी०एल० पिपरवार क्षेत्र की सहभागिता नहीं पाई गयी। चुँकि यह कांड कोयला लोडिंग के लिए गठित स्थानीय लोगों की कमिटि को निजी ट्रान्पोर्टर एवं कोयला खरीदने वाले व्यवसायियों के द्वारा दी जाने वाली राशि के लेन–देन में हुई गड़बड़ी के फलस्वरूप घटना घटी है। सी०सी०एल० प्रबंधन के इस राशि के बंटवारे से कोई लेना–देना नहीं है। अनुसंधानोपरान्त काण्ड में अप्राथमिकी अभियुक्त–1. प्रेम सागर मुण्डा एवं 2. बबलु मुण्डा, दोनों पे० प्रयाग मुण्डा, सा०–बेलारी, थाना पिपरवार, जिला–चतरा, 3. जानकी महतो, पे०–स्व० समधा महतो, सा० किचटो, थाना पिपरवार, जिला चतरा के फिरार दिखते हुए अप्राथमिकी अभियुक्त–1 महेश महतो, 2. कालेश्वर महतो उर्फ मास्टर, 3. इन्द्रेस मद्रासी एवं 4. इरफान उर्फ तुफान जी के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है फिरारी के विरूद्ध गिरफ्तारी हेतु छापामारी जारी है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शिवदयाल साहू के हत्यारों को गिरफ्तार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	तीनों फिरार अभियुक्त–1. प्रेम सागर मुण्डा एवं 2. बबलु मुण्डा, दोनों पे० प्रयाग मुण्डा, सा०–बेलारी, थाना पिपरवार, जिला–चतरा, 3. जानकी महतो, पे०–स्व० समधा महतो, सा० किचटो, थाना पिपरवार, जिला चतरा के विरूद्ध छापामारी जारी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–8/वि०स० (04)–15/2014 1233 / राँची, दिनांक–02/03/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.3.14
सरकार के उप सचिव।

153

माननीय स०वि०स० श्री मथुरा प्रसाद महतो द्वारा दिनांक 03.03.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–35 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है झारखण्ड राज्य के सरकारी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 (साठ) वर्ष निर्धारित है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय सरकार के डाक्टरों शिक्षकों एवं झारखण्ड राज्य के डाक्टरों एवं शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 65 (पैसठ) वर्ष रखी गई है, जबकि छतीसगढ़ में कर्मचारी एवं पदाधिकारी की सेवानिवत्ति आयु सीमा 62 (बासठ) वर्ष रखी गयी है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। (क) झारखण्ड राज्य में चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयुसीमा 65 वर्ष है। (ख) झारखण्ड में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयुसीमा 65 वर्ष तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों की 60 वर्ष है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कर्मचारी/पदाधिकारी की सेवानिवृति आयु सीमा बढ़ाने की विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार के समक्ष ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–23/2014 का०–2082/राँची, दिनांक– 28/2/14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–851, दिनांक 24.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/14.

(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

154

श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–03.03.2014 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–36 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि उग्रवादी हिंसा में दिनांक–20.05.2000 की राजू साव, ग्राम–बासाडीह, चरही, जिला–हजारीबाग की हत्या हुई है जिसकी थाना काण्ड सं०–344/94, 193/96, 111/92, 244/97 में प्राथमिकी दर्ज है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड बंटवारे से पूर्व उग्रवादी हिंसा में मृत 5 (पाँच) व्यक्तियों स्व० दीपन महतो, स्व० बालेश्वर प्रसाद स्व० मोटन महतो, स्व० शीतल प्रसाद एवं स्व० बालमुकुंद साव सभी ग्राम सलमा, केरेडारी को झारखण्ड बंटवारे के बाद उनके आश्रितों को अनुसेवक के पद पर नौकरी दी गयी है ;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुतः झारखण्ड गठन के पूर्व बिहार सरकार द्वारा वर्ष–1997 में ही पाँचो मृतकों को नौकरी संबंधी आदेश निर्गत है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्व० राजू साव की विधवा पत्नी श्रीमती बिन्दु देवी को अनुग्रह अनुदान एवं सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	स्व० राजू साव के विरूद्ध मांडू थाना में अपराधिक मामले दर्ज है एवं यह घटना झारखण्ड गठन के पूर्व की है। अतः प्रावधानानुसार स्व० साव के आश्रित को सरकारी नौकरी देय नही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–18/वि०स० (02)–06/2014.2001/ राँची, दिनांक–02/03/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.3.14
सरकार के उप सचिव।

155

श्री विदेश सिंह, स०वि०स०, द्वारा दिनांक–03.03.2014 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू० 29 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के प्रखण्ड लेस्लीगंज में खैरांट (शिव मंदिर) एवं तरहसी प्रखण्ड के सिरिकदाल में प्राचीन शिव मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु भक्त दर्शन के लिये आते है ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रश्नगत स्थल पर भक्तों के लिये सुविधाओं का घोर अभाव है, जिससे उन्हे परेशानी उत्पन्न होती है ;	2.	स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि – 1. खैरांट मंदिर तक पहुँचने के लिए पहुँच पथ नहीं है। 2. सिरिकदाल में मंदिर तक पहुँच के लिए मोरम पथ है।
3.	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड(i) में वर्णित स्थल पर मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराते हुए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	पहुँच पथ के अभाव में यह योजना तत्काल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/26/2014 396 /राँची, दिनांक 28.02.2014 /

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 829/वि०स०, दिनांक 23/02/2013 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/14

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

शर्मिष्ठा

(156)

श्री बंधु तिर्की, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–03.03.2014 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–33 का प्रश्नोत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत माण्डर थाना के ग्राम–मलती निवासी नूर हकीम अंसारी की निर्मम हत्या दिनांक–16.09.2013 को अपराधियों द्वारा कर दी गई है ;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि नूर हकीम अंसारी के हत्या की प्राथमिकी माण्डर थाना में दिनांक–17.09.2013 प्राथमिकी संख्या–101/13 दर्ज कराया गया है, परन्तु अब तक हत्यारो की गिरफ्तारी नही हुई है ;	मृतक की पत्नी मुमताज खातुन के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर मांडर थाना — कांड संख्या–101/13, दिनांक–17.09.2013 धारा 302/120 (बी०)/34 भा०द०वि० के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त पुरजीत सिंह, सा०–सिसई थाना–मांडर एवं चार अज्ञात अपराधकर्मियों के विरूद्ध दर्ज कराया गया है। प्राथमिक अभियुक्त पुरजीत सिंह को गिरफ्तार कर दिनांक–19.09.2013 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वर्त्तमान में काण्ड अनुसंधान अन्तर्गत है।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नूर हकीम अंसारी के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार के आश्रित को नौकरी एवं मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	अपराधियों द्वारा की गई हत्या में पीड़ित परिवार के आश्रितों को नौकरी एवं मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–16/2014–1234/ राँची, दिनांक–02/03/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.3.14
सरकार के उप सचिव।

(157)

माननीय स०वि०स० श्री नवीन जायसवाल द्वारा दिनांक 03.03.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–31 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है झारखण्ड के सरकारी सेवा में पिछड़ी जाति (BC-I, BC-II) के पुरूष उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में मात्र 2 (दो) वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों को 3 (तीन) वर्षों की उम्र में छूट दी जाती है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, छत्तिसगढ़ इत्यादि राज्यों में पिछड़ा वर्गों को 5 वर्ष उम्र छूट का लाभ प्रावधानित है;	यह विषय झारखण्ड राज्य से संबंधित नहीं है।
3.	क्या यह बात भी सही है कि उपरोक्त सभी राज्यों से झारखण्ड के पिछड़ों की आर्थिक–समाजिक स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है;	अस्वीकारात्मक है। झारखण्ड राज्य के पिछड़ों की आर्थिक–सामाजिक स्थिति उपरोक्त राज्यों की तुलना में अत्यन्त दयनीय नहीं है, बल्कि झारखण्ड के पिछड़ों की आर्थिक–सामाजिक स्थिति उपरोक्त सभी राज्यों से कम है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब अन्य राज्यों की तरह ही झारखण्ड में पिछड़े वर्गों को भी सरकारी नौकरी में 5 वर्षों की उम्र छूट (महिला एवं पुरूष दोनों को) देने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–20/2014 का०–2032/राँची, दिनांक– 26/2/14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–826, दिनांक 23.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/14.
(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

माननीय स०वि०स० श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी द्वारा दिनांक 03.03.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–34 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है झारखण्ड राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ ने अपनी माँग के लिए मार्च 2013 में हड़ताल किया था;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि हड़ताली कर्मचारी संघ को विभाग के द्वारा माँग पूरा करने के लिए अप्रैल 2013 तक का समय दिया गया था;	अस्वीकारात्मक है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है:– (क) कार्मिक विभाग के द्वारा दिनांक–20.03.2013 को अनुसचिवीय कर्मचारी संघ को सूचित किया गया था कि उनकी मांगों की समीक्षा अप्रील माह में की जायेगी और उन पर नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा। (ख) संघ की मांग क्रमशः कार्मिक विभाग, वित्त विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित रहने के कारण इसे संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया। संबंधित विभागों के अधीन इसकी समीक्षा प्रक्रियाधीन थी, इसी बीच संघ के द्वारा दिनांक–21.03.2014 से पुनः हड़ताल प्रारंभ किया गया। (ग) संघ की मांगों पर विचार करने हेतु सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित है, जिसके द्वारा संघ के प्रतिनिधियों से वार्त्ता कर इनकी मांगों की समीक्षा की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ माँग पूरा नहीं होने पर संघ के आह्वाहन पर 21 जनवरी 2014 से 18 सूत्री मांगों के लिए सभी 24 जिलो में कर्मचारी संघ पुनः हड़ताल पर चले गए;	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कर्मचारियों के मांगों के अनुरूप ग्रेड पे 4200 से प्रत्येक तीन वर्ष के बाद क्रमशः 4600, 4800 एवं 5400 ग्रेड वेतन निर्धारण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15 / झा०वि०स०–15–22 / 2014 का०– 2077 राँची, दिनांक– 28/2/14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–852, दिनांक 24.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/14,

(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(160)

सर्वश्री दीपक बिरूआ, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.03.2014 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्र0 सं0–अ0सू0–23 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि 5वीं जे॰पी॰एस॰सी॰ में दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों का चयन 70 प्रतिशत किया गया है।	आयोग से प्राप्त सूचनानुसार आयोग की परीक्षाओं में दूसरे राज्य के विद्यार्थियों के चयन से संबंधित आँकडों को संधारित नहीं किया जाता है क्योंकि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को संयुक्त असैनिक सेवा, प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक नही हैं।
2. क्या यह बात सही है कि कोई भी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य वर्ग के मापदण्डों को पूरा करता है तो उसका चयन सामान्य वर्ग में किया जाता है।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के परिपत्र सं0–12165 दिनांक 31.10.2012 के द्वारा इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की गयी है तथा कहा गया है कि आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन उन मानकों के आधार पर होता है जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए विहित हो उन्हें आरक्षित वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध सामंजित नहीं किया जायेगा। दूसरे शब्दों में जब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तुलना में उपरी उम्र सीमा, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या में छूट/रियायत प्रदान कर की जाती है एवं विस्तारित विचारण क्षेत्र के आधार पर होता है तो वे सम्बन्धित आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्ध ही सामंजित होंगे। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुपलब्ध समझे जायेंगे।
3. क्या यह बात सही है कि आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों के द्वारा अधिक अंक लाने पर भी आरक्षित कोटि में ही रखा गया है।	इसका उत्तर उपर्युक्त खंड 2 के उत्तर से आच्छादित है।
4. क्या यह बात सही है कि उक्त परीक्षा में संविधान के अनु0 14 एंव 16(1) का उल्लंघन है।	अस्वीकारात्मक
5. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 5वीं जे॰पी॰एस॰सी॰ (पी॰टी॰) के परीक्षाफल को राज्य में संशोधित करते हुए प्रकाशित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका 2 के उत्तर के अनुसार दिए गये स्पष्टीकरण में निहित सिद्धांतों/शर्तों के विरूद्ध कोई मामला विशेष प्रकाश में आने पर उसकी जाँच कर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक :– 11/लो0 से0 आ0 (वि0 स0)–01–12/2014 का0 2146 /राँची, दिनांक 28 फरवरी, 2014

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 827, दिनांक 23.02.2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/14

(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।